रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274854
CG-DL-E-27072026-274854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 605] | नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948 |
| No. 605] | NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948 |

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

**सं. 18/2026-सीमाशुल्क (एडीडी)**

**सा.का.नि. 667(अ).**— जहां कि, ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (एतस्मिन् पश्चात् जिन्हें विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" (एतस्मिन् पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु कहा गया है), जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2704 00 10, 2704 00 20, 2704 00 30 और 2704 00 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक निष्कर्ष फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर, दिनांक 14 नवंबर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, दिनांक 14 नवंबर, 2025 में प्रकाशित किए गए थे, में विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/2025-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 31 दिसंबर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 944(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों संबंधी अधिसूचना फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर, दिनांक 28 अप्रैल, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, दिनांक 28 अप्रैल, 2026 में प्रकाशित की गई थी, में यह निष्कर्ष निकाला है कि—

(i) विचाराधीन उत्पाद का विषयगत देशों से भारत को पाटित मूल्यों पर निर्यात किया गया है;

(ii) घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के पाटित आयातों के कारण सारवान क्षति हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका निर्धारण और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली विषयगत वस्तु, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मदों के अंतर्गत आती है जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जो स्तंभ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, स्तंभ (5) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, स्तंभ (6) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर स्तंभ (7) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर, स्तंभ (9) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और स्तंभ (8) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, अर्थात्.-

**सारणी**

| क्र. सं. | टैरिफ मद | वस्तु का विवरण* | मूल देश | निर्यात देश | उत्पादक | शुल्क की राशि | इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 | लो ऐश मेटालर्जिकल कोक* | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया सहित कोई भी देश | कोई भी | 71.16 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 2 | वही | वही | ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस से भिन्न कोई भी देश | ऑस्ट्रेलिया | कोई भी | 71.16 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 3 | वही | वही | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | कोई भी | 128.83 | मी. टन | यूएस डॉलर |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | वही | वही | ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस से भिन्न कोई भी देश | चीन जन. गण. | कोई भी | 128.83 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 5 | वही | वही | कोलंबिया | कोलंबिया सहित कोई भी देश | कोई भी | 118.55 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 6 | वही | वही | ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस से भिन्न कोई भी देश | कोलंबिया | कोई भी | 118.55 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 7 | वही | वही | इंडोनेशिया | इंडोनेशिया सहित कोई भी देश | कोई भी | 67.50 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 8 | वही | वही | ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस से भिन्न कोई भी देश | इंडोनेशिया | कोई भी | 67.50 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 9 | वही | वही | जापान | जापान सहित कोई भी देश | कोई भी | 42.95 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 10 | वही | वही | ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस से भिन्न कोई भी देश | जापान | कोई भी | 42.95 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 11 | वही | वही | रूस | रूस सहित कोई भी देश | कोई भी | 84.16 | मी. टन | यूएस डॉलर |
| 12 | वही | वही | ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस से भिन्न कोई भी देश | रूस | कोई भी | 84.16 | मी. टन | यूएस डॉलर |

** लो ऐश मेटालर्जिकल कोक अर्थात् मेटालर्जिकल कोक, जिसमें राख की मात्रा 18 प्रतिशत से कम हो।*

***नोट:*** *सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।*

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित विषयगत वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा 0.030 प्रतिशत तक हो, जिसका आकार 30 मि.मी. तक हो और आकार में 5 प्रतिशत की सह्यता हो, जिसे किसी वास्तविक उपयोक्ता द्वारा फेरो-अलॉय

विनिर्माण में उपयोग के लिए आयात किया गया हो, बशर्ते कि आयातक, आयात के समय, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करे कि आयातित माल का विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग न किए जाने की दशा में वह इस अधिसूचना के अधीन अन्यथा उद्ग्रहणीय प्रतिपाटन शुल्क, लागू ब्याज सहित, अदा करेगा;

(ख) सेमी-कोक या सॉफ्ट कोक;

(ग) 20-40 मि.मी. आकार का लो ऐश मेटालर्जिकल कोक (जिसका औसत आकार लगभग 30 मि.मी. ± 2 मि.मी. हो), जिसे किसी वास्तविक उपयोक्ता द्वारा पिग आयरन के विनिर्माण के लिए 130 घन मीटर तक की क्षमता वाली ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग हेतु आयात किया गया हो, बशर्ते कि आयातक, आयात के समय,—

(i) यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करे कि आयातित माल का विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग न किए जाने की दशा में वह इस अधिसूचना के अधीन अन्यथा उद्ग्रहणीय प्रतिपाटन शुल्क, लागू ब्याज सहित, अदा करेगा; और

(ii) संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा लागू हो, द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, जिसमें उस ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता प्रमाणित की गई हो जिसमें आयातित माल का उपयोग किया जाना है।

3. इस अधिसूचना के अधीन लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि उसे इससे पूर्व वापस न लिया जाए, संशोधित न किया जाए या अधिक्रमित न किया जाए, और भारतीय मुद्रा में संदेय होगा:

**परंतु** उक्त प्रतिपाटन शुल्क उस अवधि के लिए नहीं लगाया जाएगा, जो अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की अवधि समाप्त होने की दिनांक से प्रारंभ होकर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिन तक है।

***स्पष्टीकरण.—*** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपाटन शुल्क की गणना हेतु लागू विनिमय दर वह दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन आगम पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/76/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2026

**No. 18/2026-Customs (ADD)**

**G.S.R. 667(E).—** Whereas, in the matter of 'Low Ash Metallurgical Coke' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2704 00 10, 2704 00 20, 2704 00 30 and 2704 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings F. No. 6/03/2025-DGTR, dated the 14th November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th November, 2025, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 41/2025-Customs (ADD), dated the 31st December, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 944(E), dated the 31st December, 2025;

And whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/03/2025-DGTR dated 28th April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th April, 2026 has concluded that-

(i) the product under consideration has been exported to India from the subject countries at dumped prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury;

(iii) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table, falling under the Tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

**TABLE**

| S. No. | Tariff Item | Description* | Country of Origin | Country of Export | Producer | Amount | Unit | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 and 2704 0090 | Low Ash Metallurgical Coke* | Australia | Any country including Australia | Any | 71.16 | MT | USD |
| 2 | -do- | -do- | Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia | Australia | Any | 71.16 | MT | USD |

| S. No. | Tariff Item | Description* | Country of Origin | Country of Export | Producer | Amount | Unit | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Any | 128.83 | MT | USD |
| 4 | -do- | -do- | Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia | China PR | Any | 128.83 | MT | USD |
| 5 | -do- | -do- | Colombia | Any country including Colombia | Any | 118.55 | MT | USD |
| 6 | -do- | -do- | Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia | Colombia | Any | 118.55 | MT | USD |
| 7 | -do- | -do- | Indonesia | Any country including Indonesia | Any | 67.50 | MT | USD |
| 8 | -do- | -do- | Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia | Indonesia | Any | 67.50 | MT | USD |
| 9 | -do- | -do- | Japan | Any country including Japan | Any | 42.95 | MT | USD |
| 10 | -do- | -do- | Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia | Japan | Any | 42.95 | MT | USD |
| 11 | -do- | -do- | Russia | Any country including Russia | Any | 84.16 | MT | USD |
| 12 | -do- | -do- | Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia | Russia | Any | 84.16 | MT | USD |

** Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18%*

***Note:*** *Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration.*

2. Nothing contained in this notification shall apply to the following subject goods, namely:-

(a) ultra-low phosphorous metallurgical coke having phosphorous content up to 0.030 per cent with size upto 30 mm with 5 per cent size tolerance, imported by an actual user for use in ferroalloy manufacturing, subject to the importer, at the time of import, furnishing an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to pay the anti-dumping duty otherwise leviable under this notification, together with applicable interest, in the event of failure to use the imported goods for the specified purpose;

(b) semi-coke or soft coke;

(c) Low Ash Metallurgical Coke of size 20-40 mm (with a mean size of approximately 30 mm ± 2 mm), imported by an actual user for use in blast furnaces up to 130 cubic metres for pig iron manufacturing, subject to the importer, at the time of import,

(i) furnishing an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to pay the anti-dumping duty otherwise leviable under this notification, together with applicable interest, in the event of failure to use the imported goods for the specified purpose; and

(ii) producing a valid certificate issued by the concerned State Pollution Control Board or the Central Pollution Control Board, as applicable, certifying the capacity of the blast furnace in which the imported goods are intended to be used.

3. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, unless revoked, amended or superseded earlier, and shall be payable in Indian currency:

**Provided** that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the date of the lapse of the provisional anti-dumping duty, up to the preceding day of the publication of this notification in the Official Gazette.

***Explanation-*** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190349/76/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA